

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा।

(उत्पाद शाखा)

खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु सूचना।

विज्ञापित

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1/नीति-28/2018- 2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा प्रकाशित "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" तथा राजस्व पर्षद के अनुमोदन के उपरान्त इस कार्यालय के ज्ञापांक-41 दिनांक 23.02.2019 द्वारा निर्गत बिक्री अधिसूचना की शर्तों के तहत तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि यथा वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (01.04.2019 से 31.03.2022 तक) के लिये लोहरदगा जिला अंतर्गत "देशी शराब की 7 (सात) दुकानें", "विदेशी शराब की 7 (सात) दुकानें" तथा "कम्पोजिट की 2(दो) दुकानों" की कुल 08(आठ) समूहों में समूहवार बंदोबस्ती ई-लॉटरी प्रणाली द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित की जायेगी :-

क्र०	विषय	तिथि
1	2	3
1	"देशी शराब की दुकान", "विदेशी शराब की दुकान" तथा "कम्पोजिट दुकान" की बंदोबस्ती हेतु आनलॉइन अभ्यावेदन समर्पित करने की तिथि व समय	दिनांक 23/02/2019 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से दिनांक 04/03/2019 के संध्या 05:00 बजे तक
2	ई-लॉटरी की तिथि एवं समय	दिनांक 05/03/2019 के पूर्वाह्न 10:00 बजे से
3	ई-लॉटरी का स्थान	जिला समाहरणालय का सभाकक्ष, लोहरदगा
4	ई-लॉटरी समर्पित करने हेतु वेबसाइट का पता	https://jhexcise.neml.in

ई-लॉटरी हेतु आवेदन, दुकानों से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट <https://jhexcise.neml.in> एवं lohardaga.nic.in पर तथा अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, लोहरदगा से प्राप्त किया जा सकता है।

25/2/19
उपायुक्त
लोहरदगा।

Advt Id
186216
26/02/2019